

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :- 105 / 2019

दायर तारीख :- 14-11-2019

1. कैलाश पुत्र नाथू
2. गुलाब देवी पत्नि भौरीलाल
3. मामराज पुत्र भौरीलाल
4. गोकुल पुत्र छीतरमल
5. नाथूलाल पुत्र राधेश्याम
6. कजोड पुत्र मदन
7. चौथमल पुत्र प्रभूदयाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी छीतौली
तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थीगण

बनाम

राजरथान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

— अप्रार्थी


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

उपस्थित : श्री महेश कुमार जैन, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :- 06-01-2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वाकें ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 37/0.51, 42/0.01, 43/0.28 हैक्टेयर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर हिस्सा 1/10 व खसरा नंबर 35/0.22, 44/0.13 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 36/0.51 हैक्टेयर में हिस्सा 1/15, खसरा नंबर 155/0.12 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की शामिलती खातेदारी भूमि वाके ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 138/0.34, 139/0.26, 162/0.81 कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/5 व प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2078 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 124/0.28, 125/0.11, 126/0.40, 127/0.51, 128/0.07, 129/0.42, 130/0.47, 148/0.15, 96/0.74, 97/0.04, 98/0.05, 99/0.19 हैक्टेयर कुल कित्ता 12 कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर में


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हिस्सा 1/4 व अराजी खसरा नंबर 132/0.15, 133/0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 व अराजी खसरा नंबर 100/0.53, 101/0.90, 102/0.32, 104/0.57, 123/0.12, 154/0.13 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 119/0.57, 38/0.27, 39/0.41, 40/0.01, 41/0.13, 43/435/0.20 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 6 व 7 की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 92/0.42 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/16 व प्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 व हाल खसरा नंबर 121/0.07, 122/0.36, 153/0.27 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/32 व प्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि की खातेदारी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की जाति में सिलावट लिखा हुआ है जब कि ग्राम चीतौली के सिलावटों की जाति शुरू से ही ब्राह्मण रही है तथा आज भी ब्राह्मण ही है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति के आगे सहवन से तथा राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करते समय सिलावट लिखा गया, जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि प्रार्थीगण ब्राह्मण जाति के ही लोग हैं तथा प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पास बुक यहां तक की अब जो प्रार्थीगण द्वारा जमीन खरीदी व बेचान की जाती है उन खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थीगण की जाति ब्राह्मण अंकित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित खातेदारी आराजी में जाति के आगे सिलावट की जगह ब्राह्मण दुरुस्त किया जाना उचित एवं न्याय संगत है। यह है कि वरवक्त खोले जाने नामान्तरण प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की जाति सिलावट अंकित हो गई जो कि राजस्व कर्मचारियों की गलती व सहवन से हुई है, जो कि गलत है। तथा प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 ने कभी भी किसी अन्य जाति अथवा ओबीसी जाति का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तथा न ही कोई लाभ प्राप्त किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में अंकित खातेदारी आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जाति के आगे सिलावट




(Signature)
 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

की जगह ब्राह्मण दुरुस्त किया जाना उचित व न्याय संगत है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में अंकित प्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज खातेदारी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति के आगे सिलावट के जगह ब्राह्मण दुरुस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी की तलबी की गई। पैरोकार सरकार। जवाब सरकार पेश किया गया।
3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 29 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 112 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 30 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-3, फोटो प्रति आधार कार्ड कजोड मल शर्मा प्रदर्श-4, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र कजोड प्रदर्श-5, फोटो प्रति राशन कार्ड कजोड पुत्र मदन लाल प्रदर्श-6, फोटो प्रति पैन कार्ड कजोड मल शर्मा प्रदर्श-7, फोटो प्रति आयकर आयुक्त कार्ड प्रदर्श-8, फोटो प्रति आधार कार्ड चौथमल शर्मा प्रदर्श-9, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 13 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-10, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र नाथूलाल प्रदर्श-11, फोटो प्रति आधार कार्ड नाथूलाल शर्मा प्रदर्श-12, फोटो प्रति राशन कार्ड नाथूलाल शर्मा प्रदर्श-13, फोटो प्रति पैन कार्ड नाथूलाल शर्मा प्रदर्श-14, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 101 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-15, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 102 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-16, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 100 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-17, फोटो प्रति आधार कार्ड गोकुल चंद शर्मा प्रदर्श-18, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र गोकुल प्रदर्श-19, फोटो प्रति बैंक पास बुक गोकुल चंद शर्मा प्रदर्श-20, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 23 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-21, फोटो प्रति आधार कार्ड गुलाब देवी प्रदर्श-22, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र गुलाब देवी प्रदर्श-23, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र मामराज प्रदर्श-24, फोटो प्रति आधार कार्ड मामराज शर्मा प्रदर्श-25, फोटो प्रति बैंक पास बुक गुलाब देवी प्रदर्श-26, फोटो प्रति बैंक पास बुक मामराज शर्मा प्रदर्श-27, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 58 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-28, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 86 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-29, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 85 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-30, नकल जमाबन्दी ग्राम





 उपखण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)

बहरमपुर खाता संख्या 84 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-31, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 87 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-32, फोटो प्रति भारत निर्वाचन पहचान पत्र कैलाश प्रदर्श-33, फोटो प्रति आधार कार्ड कैलाश चन्द शर्मा प्रदर्श-34, फोटो प्रति बैंक पास बुक कैलाश चंद शर्मा प्रदर्श-35, फोटो प्रति सहकारी किसान कार्ड कैलाश चंद शर्मा प्रदर्श-36, फोटो प्रति भामाशाह कार्ड कैलाश चंद शर्मा प्रदर्श-37, नकल खतौनी जमाबंदी ग्राम बहरमपुर संवत् 2039 प्रदर्श-38, नकल जमाबन्दी ग्राम बहरमपुर खाता संख्या 85 संवत् 2073-2076 प्रदर्श-39 एवं अन्य दस्तोवजात के रूप में फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र महेश कुमार शर्मा, फोटो प्रति मूल निवास प्रमाण पत्र विष्णु कुमार शर्मा, फोटो प्रति EWS प्रमाण पत्र दीपक शर्मा, फोटो प्रति EWS प्रमाण पत्र अंकित शर्मा, फोटो प्रति EWS प्रमाण पत्र शिवम शर्मा, फोटो प्रति EWS प्रमाण पत्र त्रिदितिक शर्मा आदि पेश किये गये।



4. प्रार्थना पत्र में कैलाश पुत्र नाथूराम एवं नाथूलाल पुत्र राधेश्याम के शपथ पत्र पेश किए गए। प्रार्थना पत्र में कैलाश पुत्र नाथूराम के बयान पंजीबद्ध किए गए।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पर मनन किया गया। वाकै ग्राम बहरमपुर के खसरा नंबर 37/0.51, 42/0.01, 43/0.28 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.80 हैक्टेयर हिस्सा 1/10 व खसरा नंबर 35/0.22, 44/0.13 कुल किता 2 कुल रकबा 0.35 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/5, खसरा नंबर 36/0.51 हैक्टेयर में हिस्सा 1/15, खसरा नंबर 155/0.12 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 प्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि प्रार्थीगण संख्या 2 व 3 की शामलाती खातेदारी भूमि वाकै ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 138/0.34, 139/0.26, 162/0.81 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/8 व प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 124/0.28, 125/0.11, 126/0.40, 127/0.51, 128/0.07, 129/0.42, 130/0.47, 148/0.15, 96/0.74, 97/0.04, 98/0.05, 99/0.19 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 3.43 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 व अराजी खसरा नंबर 132/0.15, 133/0.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.25 हैक्टेयर में हिस्सा 1/4 व


उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आराजी खसरा नंबर 100/0.53, 101/0.90, 102/0.32, 104/0.57, 123/0.12, 154/0.13 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 2.57 हैक्टेयर में हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 5 की खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 119/0.57, 38/0.27, 39/0.41, 40/0.01, 41/0.13, 43/435/0.20 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 1.59 हैक्टेयर में हिस्सा 1/6 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। यह है कि प्रार्थी संख्या 6 व 7 की शामलाती खातेदारी भूमि ग्राम बहरमपुर के हाल खसरा नंबर 92/0.42 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/16 व प्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/4 व हाल खसरा नंबर 121/0.07, 122/0.36, 153/0.27 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 6 का हिस्सा 1/32 व प्रार्थी संख्या 7 का हिस्सा 1/8 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2073-2076 है। अधिवक्ता प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत ग्राम बहरमपुर जमाबंदी संवत् 2039 में खातेदार की जाति में सिलावट (ब्राह्मण) अंकित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि सिलावट एवं ब्राह्मण एक ही जाति हैं। अतः भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा को लिपकीय त्रुटि संशोधन तथा सम्मान जनक नाम संशोधन की अधिकारिता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी आराजी में प्रार्थीगण की जाति सिलावट के स्थान पर ब्राह्मण दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 06.01.2021 सुनाया गया।



(राजवीर सिंह, R.A.S)

**उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)**

